



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04092025-265973
CG-DL-E-04092025-265973

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3948]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 4, 2025/भाद्र 13, 1947

No. 3948]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 4, 2025/BHADRA 13, 1947

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 2025

का.आ. 4060(अ).— केंद्रीय सरकार, धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 46 की उपधारा (1) के परन्तुक के साथ पठित भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (v) और धारा 18 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित सहायक विधिक सलाहकार को, संपूर्ण भारत में, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अधीन विशेष न्यायालयों के समक्ष प्रवर्तन निदेशालय की ओर से मामलों का संचालन करने के लिए विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करती है, अर्थात्:-

1. श्री अंकुश कुमार प्रजापति, सहायक विधिक सलाहकार ।

[फा. सं. सी-18016/3/2022-एडी.ईडी(भाग-1)]

शंकर लाल कुमावत, निदेशक

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th September, 2025

S.O. 4060(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (1) of section 46 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003) read with clause (v) of sub-section (1) of section 2 and sub-section (8) of section 18 of the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023), the Central Government hereby appoints the following Assistant Legal Advisor as Special Public Prosecutor for conducting the cases on behalf of the Directorate of Enforcement before the Special Courts under the Prevention of Money-laundering Act, 2002, throughout India, namely:-

1. Shri Ankush Kumar Prajapati, Assistant Legal Advisor.

[F. No. C-18016/3/2022-Ad.ED (Part-I)]

SHANKAR LAL KUMAWAT, Director